

र्यालय: महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ०प्र०, लखनऊ।

संख्या:—एमई—3 / 2014 / 3363

लखनऊ:दिनांक:17 सितम्बर, 2014

सी०पी०एम०टी०—2014 के अन्तर्गत ओ०बी०सी०—एफ०एफ० श्रेणी की स्टेट रैंक—10000 से आगे की फ़ेश काउंसिलिंग कराए जाने की सूचना

मा० उच्च न्यायालय, लखनऊ बेन्च द्वारा वाद संख्या—मिस० सिं० नं०—5213 ऑफ 2014, अनमोल सिंह बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य तथा वाद संख्या—मिस०सिंगल नं०—5330 ऑफ 2014 बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक—16.9.2014 के अनुपालन में सी०पी०एम०टी०—2014 की प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से स्टेट रैंक 10,000 के बाद के ओ०बी०सी०—एफ०एफ० श्रेणी के अभ्यर्थियों हेतु सम्पन्न एम०बी०बी०एस०/बी०डी०एस० पाठ्यक्रम की सीटों की काउंसिलिंग निरस्त करते हुए फ़ेश काउंसिलिंग दिनांक—22 सितम्बर, 2014 को टेलीमेडिसिन सेन्टर, संजय गॉधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (एस०जी०पी०जी०आई०) लखनऊ में प्रातः 11:00 बजे से आयोजित की गयी है। मा० न्यायालय के उक्त आदेश के अन्तर्गत फ़ेश काउंसिलिंग सम्बन्धी निर्देश बिन्दु निम्नवत् हैं:—

"20. Respondents are directed to hold fresh counseling for the persons belonging to subcategory of Freedom Fighter in the OBC category and who have got themselves registered by depositing security and counseling fee in any of the three rounds of counselling and hold state rank beyond 10000.

21. Candidates who belong to sub-category of Freedom Fighter in the OBC category and deposited the counseling fee and security for the Ist, IInd and IIIrd counseling and holding state rank above 10000, would alone be called and allotted seat according to their respective merit and the persons with lower merit will be re-adjusted according to their merit. Selection of candidates holding state rank beyond 10000 under OBC (FF) will be dependent upon the result of fresh counselling as a result whereof last candidates may have to pave way for a better placed claimant."

22. It is clarified that selection will be made strictly on the basis of merit. Respondents are free to contact the candidates through the phone numbers,

which have been given in the registration form. Needless to say that persons have been lower merit and not eligible for seat will have to make way for the eligible persons and this counseling would be confined to the seats actually allocable to the sub-category."

उक्त काउंसिलिंग में स्टेट रैंक-10000 से आगे के ओबीसी-एफ श्रेणी के समस्त अभ्यर्थी, जिन्होंने प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय काउंसिलिंग के माध्यम से काउंसिलिंग फीस तथा सीक्योरिटी धनराशि जमा कर अपना पंजीकरण कराकर एमबीबीएस/बीडीएस में पाठ्यक्रम में आवंटन प्राप्त कर चुके हैं, अथवा अनावंटित रहे हैं, को भाग लेने हेतु आमंत्रित किया जाता है। यह स्पष्ट किया जाता है कि मा0 न्यायालय के आदेशानुसार यह स्टेट रैंक-10000 से बाद के अभ्यर्थियों की फ्रेश काउंसिलिंग है, तदनुसार यदि स्टेट रैंक-10000 के बाद आने वाले पूर्व आवंटित अभ्यर्थी काउंसिलिंग में भाग नहीं लेते हैं, तो उनको पूर्व की काउंसिलिंग से आवंटित एमबीबीएस/बीडीएस सीट स्वतः निरस्त हो जाएगी।

यह भी अवगत कराना है कि दिनांक-17 सितम्बर, 2014 की काउंसिलिंग में उपलब्ध जनरल/ओबीसी-एफ श्रेणी की बीएएमएस/बीएचएमएस पाठ्यक्रम की सीटों पर आवंटन की कार्यवाही भी उपरोक्त एमबीबीएस/बीडीएस पाठ्यक्रम की काउंसिलिंग के पश्चात् दिनांक-22 सितम्बर, 2014 को ही की जाएगी।

उपरोक्त सूचना महानिदेशालय की वेबसाइट "www.updgme.in" पर भी प्रदर्शित है।

महानिदेशक